Entry ✓

अंचल अधिकारी का कार्यालय [illegible]

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0– 223/16-17

विषय – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 [illegible] के तहत [illegible]
एवं कार्रवाई के संबंध में।

23/7/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–3074/रा0 दिनांक 13.05.2016 [illegible] राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग [illegible] सं0–3–[illegible]–119/95/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 [illegible] सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 [illegible] भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की [illegible] प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित [illegible] हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित [illegible] विवरणी की भूमि –

मौजा बराहदा थाना नं0 182 खाता सं0 62 ख. सं. 108 प्लाट सं0 252 रकबा 0.44 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद [illegible] झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी–II [illegible] जमाबंदी रैयत शंकर स्वामी, लालू लाल स्वामी के नाम से कायम है।

[illegible]

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा [illegible] उपर्युक्त विवरणी की भूमि के [illegible] कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा [illegible] से प्रतीत होता है [illegible] आदेश के/अथवा बन्दोबस्ती के [illegible] के उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के [illegible] के आधार पर/[illegible] के आधार पर/अवैध [illegible] बन्दोबस्ती के आधार पर [illegible] की गई है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को [illegible] हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है [illegible] करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की [illegible] बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा [illegible] जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका [illegible]
[illegible] के तहत [illegible] किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित [illegible] मूल दस्तावेज/[illegible] रसीद की मांग करें तथा [illegible] बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा [illegible] जमाबंदी को अवैध मानते हुए [illegible] के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

[illegible]

अभिलेख दिनांक

[illegible]

अंचल अधिकारी
[illegible]

अंचल अधिकारी
[illegible]

ऑफिस नोटिस हेतु पेश

[illegible]

9/8/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नही किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति मे संबधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती हैं अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे। ह० 9/8/16 अंचल अधिकारी, बलियापुर।	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर

वाद अभिलेख संख्या- 223 /2016 (अन्तर्गत धारा-4(H), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम...

शंभू रवानी, बाबूलाल रवानी
सा0 लड़ादह

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- लड़ादह थाना नं0- 182 खाता नं0- 62 खेसरा नं0- 252 रकबा 0.44 डी0 संबंधित आपके नाम से ह0 नं0- ... के पंजी- II भाग........ के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व ~~कर्मचारी ने~~ अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में रैयत भूमि का रिटर्न-I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदें निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुचित-पुष्ट निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:- मुहर अंचल अधिकारी

स्थान:- बलियापुर

3/8/16

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Dhananjay Rawani
5/8/2016

नोटिस तामिला किया
चौ0 ...
06/8/16